न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/05/20	09–01–2020	18–11–2020

1. सावल राम गोयल पुत्र स्व0 श्री पन्ना लाल जाति वैश्य निवासी स्कीम नं0 4 प्लॉट संख्या 188 अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती नीतू उर्फ नीता गोयल पत्नि श्री सुधीर पुत्री श्री शंक लाल जाति वैश्य निवासी स्कीम नं0 4 प्लॉट संख्या 188 अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 23 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 06.01.2020

उपस्थितः–
01. श्री अजय मोहन मुखीजा –वकील अपीलान्ट
02. रैस्पा0 संख्या 1

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट्स ने यह अपील अन्तर्गत धारा–23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 06.01.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस पेंश कर अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी प्लाट में बने मकान को हडप करना चाहती है तथा प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। तहत अदालत का आदेश दिनांक 4.2.19 की अपील अपीलान्ट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई। तहत अदालत के आदेश दिनांक 4.2.19 निरस्त किया गया और तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमों के अनुसार प्रार्थना पत्र पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। तहत अदालत द्वारा अपीलार्थी के मालिकाना हक को दर किनार कर अपीलार्थी के मकान प्लॉट 188 का वह कानूनन एक मालिक है, वरिष्ठ नागरिक और कानूनन अपीलार्थी के अधिकार है कि जो सन्तान व उसके परिवार का सदस्य जो उसे मानसिक शीरीरिक व आर्थिक हानि पहुचायेगा एव भरण पोषण नही करेगा तो उसे बेदखल कर सकता है। अपीलार्थी के पास आय का साधन भी रैस्पा0 के मकान के कब्जे वाले हिस्से में ऊपर की मंजिल में रूका हुआ है। रैस्पा0 संख्या 01 व उसके पति दोनों में लम्बे समय से वैवाहित संबंधो में कडवाहट आ गई है एवं अनैतिक आचरण व अनुचित आधारों से आक्षेपित किया जा रहा है। अपीलार्थी से लडाई झगडा करते है और नाजायज रूपयों की मांग करते है एवं रैस्पा0 प्लॉट में बने मकान को हडप करना चाहते थे। अपीलार्थी की

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

पत्नि का देहांत हो चुका है। तहत अदालत ने धारा 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम में यह नही माना कि धारा 23 में कोई बेदखली करने का कोई प्रोविजन हो तहत अदालत द्वारा धारा 23 के प्रावधानो को सही तरीके से नही समझा, केवल यह माना है कि कोई सम्पत्ति का अंतरण अगर सशर्त किया जाता है और उस शर्त की पूर्ति नही होती है तो सम्पत्ति के अंतरण को शुन्य घोषित करने का अधिकार न्यायालय का है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 में स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार कानूनन प्रोवीजन्स होने के कारण भी तहत अदालत ने प्रोवीजन्स पर गौर नही किया बिना गौर किये सरसरी रूप से प्रार्थना पत्र का निर्धारण कर दिया। विवादित मकान सं0 188 स्कीम नं0 4 अलवर से रैस्पा0 को पुत्रियों सहित बेदखल करने के आदेश सादिर फरमाया जावें। विवादित मकान अपीलान्ट के नाम हुआ उसमें अपीलान्ट की पत्नी स्व0 कमला देवी ने भी अपनी वसीयत में लिखा है। रैस्पा0 का विवादित मकान से कोई लेना देना नही है और ना ही कोई विधिक अधिकार प्राप्त है और ना ही रैस्पा0 द्वारा कोई दीवानी वाद अपीलान्ट के खिलाफ मकान के संबंध में प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी रैस्पा0 संख्या 01 से शारीरिक व पारिवारिक सुविधाओं से महरूम हो गया है, इनके लडाई झगडें एवं विवादों से अपीलार्थी बहुत गम्भीर घुटर महसूस कर रहा है। उनके आचरण से अपीलार्थी दुखी तो है उसके साथ ही जीने की लालसा भी क्षीण होती जा रही है। इस प्रकार प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों को दृष्टिगत रखते हुये जांच के बिना निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। तहत अदालत में अपीलार्थी ने उसकी पत्नि की वसीयत की छायाप्रति भी प्रस्तुत की थी, जिसके तथ्यों पर भी तहत अदालत द्वारा गौर नहीं किया गया। मात–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें स्पस्ट उल्लेख है कि धारा 23 कतिपय परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शूल्य होगा–(1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को प्रदान करेा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को प्रदान करने से इंकार करता है या असफल रहता है वहां सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या प्रपीडन द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जायेगा और अन्तरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।–(2) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को सम्पदा में से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी सम्पदा या उसका भाग अन्तरित किया जाता है वहां भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अन्तरिती के विरूद्व प्रवर्तित किया जा सकेगा यदि अन्तरिती को अधिकार का ज्ञान है या यदि अन्तरण अनुग्रहित है किन्तु प्रतिफल के लिये अन्तरिती के विरूद्व और अधिकार के ज्ञान के बिना प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा। तहत अदालत ने उक्त प्रोवीजन्स होने के कारण भी प्रोवीजन्स पर गौर नहीं किया और बिना गौर कियी सरसरी रूप से प्रार्थना पत्र निर्धारण कर दिया। अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है तथा उसकी उम्र 77 वर्ष है उसके पास उक्त जायदार के अलावा अन्य कोई जायदार नहीं है। अतः अधिनियम 2007 की धारा

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

23 का मूल दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिक के हित के संदर्भ में लिया जाकर अपीलार्थी के जीवन यापन के साधन के रूप में मेरे प्लॉट से रैस्पा0 संख्या 1 से कब्जा छोडकर अपीलार्थी को कब्जा सम्भल हेतु आदेश फरमावें।

रैस्पा0 संख्या 01 की ओर से बहस पेंश एवं अपील में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुयें, निवेदन किया कि अपील गलत तथ्यों पर पेश की है। रैस्पा0 संख्या 01 की शादी अपीलान्ट के पुत्र सुधीर गोयल से दिनांक 05.05.2001 में हुई थी, और ब्याहता पत्नी है। किसी प्रकार झगडालू किस्म की महिला नहीं है। सुधीर बदचलन का व्यक्ति है और पति के गैर महिलाओं से नाजायज संबंध है, और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता है। मैनें अपने पति के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट की है। जिस कारण अपीलार्थी अपने पुत्र से मिलकर मुझे परेशान करते है। रैस्पा0 के 02 बच्चियां है जिनकी पढाई लिखाई भी बच्चियों के मामा द्वारा कराई जा रही है। रैस्पा शातंप्रिय महिला है, और कमाई का कोई साधन नही है, मुझे व उसकी 02 मासूम बच्चियों को धर से निकलाना चाहते है। हम एक छोटे से पोर्शन में रहकर अपना गुजारा कर रहें है। अपीलान्ट का पुत्र सुधीर गोयल प्रोपर्टी डीलर है जो अपनी सारी कमाई अपने अशआराम में लगा देता है। रैस्पा0 जिस मकान में रहती है मेरी सास ने अपनी जीवनकाल में सबको अलग–2 कर दिया था। मेरा आने–जाने का रास्ता बंद कर मुझे परेशान करते है। अपीलान्ट एवं रैस्पा0 को तंग व परेशान कर रहें है और भरी मानसिक अघात दे रहें है। तहत अदालत के आदेश में कोई कमी नही है, आदेश नियमानुसार पारित किया है अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जहॉं तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि अधिनियम 2007 की धारा 23 का मूल दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिक के हित के संदर्भ में लिया जाकर अपीलार्थी के जीवन यापन के साधन के रूप में मेरे प्लॉट से रैस्पा0 संख्या 1 से कब्जा छोडकर अपीलान्ट को कब्जा दिलाया जावें। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा अपने अपीलीय निर्णय में अपीलान्ट के पुत्र सुधीर गोयल एवं रैस्पा0 अपीलान्ट की पुत्रवधु है जिसे सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करके घर पर लाये है–और अपीलान्ट के 02 पौत्रियां है जो अव्यस्क है एवं अपीलान्ट का रक्त का संबंध है। हम तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का आदेश दिनांक 06–01–2020 यथावत् रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत रिकॉर्ड भिजवाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर